

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2020 — वैशाख 28, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

अधिसूचना
सं. 37/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ-10-55/2020/वाक/पांच (68).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है), के नियम 9 के खंड (ग) और नियम 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 31/2019-राज्य कर क्रमांक एफ-10-24/2019/वाक/पांच(55) दिनांक 28 जून, 2019 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 245 तारीख 1 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, 21 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त समझे जायेंगे, नियत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक एफ-10-55/2020/वाक/पांच (68).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-55/2020/वाक/पांच(68), दिनांक 08-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th May 2020

NOTIFICATION

No. 37/2020 – State Tax

No. F-10-55/2020/CT/V(68).— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) read with clause (c) of rule 9 and rule 25 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the rules), made vide Notification No. 31/2019-State Tax, No. F-10-24/2019/CT/V(55), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 245, dated the 1st July 2019, hereby appoints the 21st day of April, 2020, as the date from which the said provisions of the rules, shall deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.